UPSC PRELIMS 2025

CRASH COURSE

CURRENT AFFAIRS

18 MONTHS

THE HINDU | दैनिक जागरण | The Indian EXPRESS | Hindustan Times

RAVI SIR

Topic 1- भारत - म्यांमार सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का निर्णय

Topic 2- पुलिस व्यवस्था में नैतिकता

Topic 3- मेघालय का नया राज्य गान

Topic 4- रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के विभिन्न ऑपरेशन

Topic 5- नजूल भूमि

भारत - म्यांमार सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का निर्णय

प्रश्न: भारत-म्यांमार सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR) के तहत दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा के 16 किमी तक यात्रा की अनुमति थी।
2. भारत की पहली स्मार्ट फेंसिंग परियोजना वर्ष 2019 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर शुरू की गई थी।
3. गोल्डन ट्राएंगल क्षेत्र, जिससे भारत में अवैध नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ती है, में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल हैं।

- सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार , सरकार ने 1,643 किमी . लंबी पूरी भारत - म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किमी . लंबी बाड़ पहले ही लगाई जा चुकी है। इसके अलावा , हाइब्रिड सर्विलान्स सिस्टम (HSS) के माध्यम से बाड़ लगाने की दो पायलट परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
- भारत - म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश (520 किमी .) , नागालैंड (215 किमी .) , मणिपुर (398 किमी .) और मिजोरम (510 किमी .) राज्य स्थित हैं।

- विगत वर्ष सितंबर में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन . बीरेन सिंह ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र से भारत - म्याँमार सीमा पर मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR) को स्थायी रूप से बंद करने का आग्रह किया था।

क्या है मुक्त संचलन व्यवस्था (FMR)

- एफ.एम.आर. दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों (निवासियों) को एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी. तक वीज़ा रहित आवागमन की अनुमति देती है।
- वर्ष 1968 की एक सरकारी अधिसूचना ने सीमा के दोनों ओर 40 किमी. तक लोगों के मुक्त संचलन को सीमित कर दिया था, जिसे वर्ष 2004 में घटाकर 16 किमी. कर दिया गया था।

- सके तहत दोनों देशों के 16 किमी. के भीतर किसी भी क्षेत्र के पहाड़ी जनजातियों का नागरिक एक साल की वैधता के साथ सीमा पास दिखाकर सीमा पार कर सकता है और दो सप्ताह तक रह सकता है।
- एफ.एम.आर. की कल्पना लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने, स्थानीय व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हालाँकि, इस व्यवस्था को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है।

स्मार्ट फेंसिंग के बारे में

- स्मार्ट फेंसिंग एक उन्नत सीमा सुरक्षा बुनियादी ढाँचा है जिसे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में निगरानी व नियंत्रण बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इसमें आमतौर पर भौतिक बाधाओं, सेंसर, कैमरे एवं संचार प्रणालियों का संयोजन शामिल होता है।
- भारत का पहला स्मार्ट फेंसिंग पायलट प्रोजेक्ट वर्ष 2018 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया था।
- बाद में वर्ष 2019 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) के तहत प्रोजेक्ट BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डॉमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक) लॉन्च किया गया।

भारत-म्याँमार सीमा: संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- खुली सीमा पर अवैध अप्रवासी एफ.एम.आर. ने सीमा पार शरण लेने वाले अवैध प्रवासियों के लिए अंदर जाने की सुविधा प्रदान की है। म्याँमार में हुए हालिया सैन्य तख्तापलट के बाद अवैध प्रवासियों के प्रवेश में वृद्धि हुई है। जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने के अलावा, प्रवासियों को कानून व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। रोहिंग्या प्रवासियों के भारत में अवैध प्रवेश ने आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा की है।

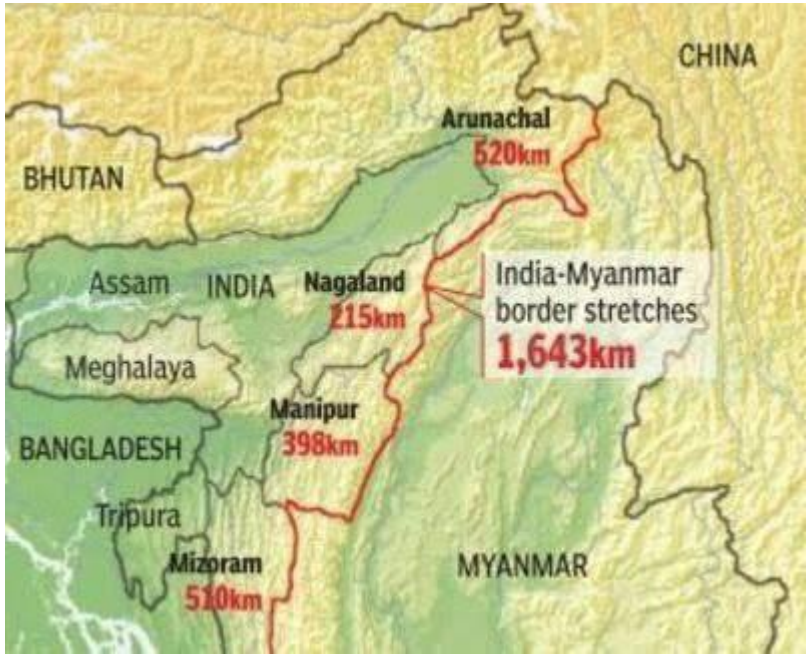

- **गोल्डन ट्राएंगल से नशीली दवाओं की तस्करी:** म्यांमार गोल्डन ट्राएंगल (स्वर्णिम त्रिभुज) क्षेत्र का हिस्सा है। गोल्डन ट्राएंगल दुनिया का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र शामिल हैं जो मेकाँग नदी और रूक (Ruak) नदी के संगम पर मिलते हैं। सीमा की छिद्रपूर्ण प्रकृति ने म्यांमार से भारत तक नशीली दवाओं के प्रवाह को सुविधाजनक बना दिया है।
- **तस्करों एवं विद्रोही समूहों के बीच अंतर्संबंध:** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से नशीली दवाओं की तस्करी पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों के लिए वित्तीय स्रोत के रूप में कार्य करती है। अधिकांश विद्रोही समूहों को ड्रग कार्टेल से वित्तीय सहायता मिलती है जो मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्र के बाहर संचालित होते हैं।
- जातीय संघर्ष: मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच चल रहा जातीय संघर्ष म्यांमार से भारत में आदिवासी कुकी-चिन लोगों के अवैध प्रवास के कारण है। मैतेई लोगों ने अवैध प्रवासियों और भारत-म्याँमार सीमा पर कथित 'नार्को-आतंकवादी नेटवर्क' पर राज्य में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया है।

Result Mitra

- **मानव तस्करी :** म्यांमार के भीतर अस्थिरता, उथल-पुथल और आंतरिक सत्ता संघर्ष ने अवैध लाभ के लिए कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने वाले आपराधिक सिंडिकेट को जन्म दिया। मिजोरम-म्याँमार सीमा की निगरानी के साथ-साथ सीमा पार बच्चों को नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **चीन का प्रभाव :** चीन म्यांमार का सबसे बड़ा निवेशक होने के साथ-साथ उसका प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। चीन ने व्यापार, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से म्यांमार में अपना प्रभाव मजबूत किया है। म्यांमार के भीतर चीनी प्रभाव को कम करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।

आगे की राह

- एफ.एम.आर. को सीमा पार कनेक्शन को संरक्षित करते हुए प्रभावी ढंग से आवाजाही का प्रबंधन करना चाहिए। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक एवं लोगों-से-लोगों के संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- म्यांमार की संप्रभुता का सम्मान करते हुए भारत को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं एवं पहलों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में तेजी लाते हुए कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट और सितवे बंदरगाह जैसी संयुक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- दोनों देश सीमा पर विद्रोही समूहों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने तथा आतंकवाद-रोधी उपायों पर सहयोग करने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

Result Mitra

पुलिस व्यवस्था में नैतिकता

प्रश्न: पुलिसिंग में नैतिकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पुलिस अधिकारियों के राजनीतिकरण का मुख्य कारण अनियमित स्थानांतरण और पदस्थापन नीति की अनुपस्थिति है।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, पुलिस को 'अधिकार में अधिक और जवाबदेही में न्यून' होना चाहिए।
3. सामुदायिक पुलिसिंग से पुलिस और जनता के बीच विश्वास की कमी को कम किया जा सकता है।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

- कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज के सुचारु संचालन के लिए पुलिसिंग आवश्यक है। नैतिकता मानव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है, किंतु पुलिसिंग में नैतिक निर्णय लेने का एक अतिरिक्त स्तर होता है जिसमें अधिकांशतः नागरिक शामिल नहीं होते हैं। पुलिस की भूमिका का नैतिक आयाम अधिकांश अन्य व्यवसायों में नहीं पाया जाता है। 'पुलिसिंग पेशेवर आचार संहिता' का अभाव एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जहाँ नैतिक अवसरवादी होना और करियर में उन्नति के साधन के रूप में अनैतिक आचरण करना आसान है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अनुसार, आदर्श पुलिस प्रणाली का अर्थ है कि एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य जवाबदेही व जिम्मेदारी से युक्त हों।

पुलिस नैतिकता की भिन्नता के कारण

- **नैतिक निर्णय लेना :** अधिकारियों को प्रायः किसी को स्वतंत्रता या उसके जीवन को छीनने के बीच चयन करना पड़ता है क्योंकि जीवन एवं स्वतंत्रता महत्त्वपूर्ण नैतिक आदर्श हैं जिन्हें सभी मानव सभ्यताओं में बरकरार रखा जाता है।
- कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय पुलिस को कई जटिल स्थितियों पर विचार करना पड़ता है।
- **कानून के साथ-साथ अच्छे-बुरे का भी विचार :** पुलिस को किसी व्यक्ति की अच्छाई एवं बुराई पर विचार करने से पहले यह सोचना होता है कि उसका कृत्य गलत है या सही।
- वर्तमान कानूनों के अनुसार निर्णय करती है कि उसे क्या करना चाहिए।

- **विभिन्न भावनाओं पर प्रतिक्रिया :** अपने काम के दौरान पुलिस अधिकारियों को अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में कहीं अधिक भय, क्रोध, संदेह, उत्तेजना व नीरसता सहित कई प्रकार की भावनाओं का सामना करने की संभावना रहती है।
- प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उन्हें इन भावनाओं को सही तरीके से संयमित करना पड़ता है और इसके लिए उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है।

भारत में नैतिक पुलिसिंग के विभिन्न मुद्दे

- **पुलिस का राजनीतिकरण :** कानून के शासन को राजनीति के शासन द्वारा प्रतिस्थापित एवं कमजोर किया जा रहा है जो देश में सुशासन के लिए चिंता का विषय है।
- पुलिस के राजनीतिकरण का प्रमुख कारण विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए उचित कार्यकाल नीति की कमी और राजनीतिक हित के लिए उपयोग किए जाने वाले मनमाने स्थानांतरण व पोस्टिंग हैं।

- राजनेता पुलिस अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए तबादले व निलंबन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- इस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और संगठन के अंदर कमांड लाइन को बाधित करता है।
- **भ्रष्टाचार :** एक आंकड़ें के अनुसार राजस्व विभाग के बाद पुलिस दूसरा सबसे भ्रष्ट विभाग है।
- **हिरासत में यातना एवं मौतें :** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)-2022 की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात व तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिरासत में मौत के मामले दर्ज किए गए हैं।
- **शक्ति एवं विवेक का दुरुपयोग :** रसूखदारों के अतिरिक्त पुलिस भी कभी-कभी स्वयं अपने बाहुबल का प्रयोग उन नागरिकों के विरुद्ध करते हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।

- पुलिस का अपराधीकरण : पुलिस सुधार पर पद्मनाभैया समिति ने पुलिस के बढ़ते अपराधीकरण पर प्रकाश डाला है।

नैतिक पुलिसिंग के लिए सुझाव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1998)

- पुलिस को 'अधिकार में अल्प एवं जवाबदेही में उच्च' होना चाहिए। मानवाधिकारों की सुरक्षा पुलिस का मुख्य कार्य है।
- पुलिसिंग में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जो आवश्यकता व आनुपातिकता के नैतिक सिद्धांतों द्वारा संदिग्धों के साथ पीड़ितों के नैतिक अधिकारों को उचित रूप से संतुलित करते हैं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

National Human Rights Commission (NHRC)

Result Mitra

- **सामुदायिक पुलिसिंग :** यह पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास की कमी को कम करने में मदद करती है क्योंकि इसके लिए पुलिस को समुदाय के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे :
- सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम 'उम्मीद' (दिल्ली)
- जनमैत्री सुरक्षा परियोजना (केरल)
- सामुदायिक पुलिसिंग परियोजना (पश्चिम बंगाल)
- पुलिस मित्र (तमिलनाडु)
- मोहल्ला समितियाँ (महाराष्ट्र)

मेघालय का नया राज्य गान

प्रश्न: हाल ही में मेघालय द्वारा अपनाए गए राज्य गान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें गारो, खासी, जैंतिया और अंग्रेजी चार भाषाओं का समावेश किया गया है।
2. मेघालय में संविधान की छठी अनुसूची के तहत तीन स्वायत्त जिला परिषदें कार्यरत हैं।
3. मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005 के तहत अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

- मेघालय सरकार ने 52वें राज्य दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से आधिकारिक राज्य गान जारी किया।
- दो मिनट के इस राज्य गान में गारो, खासी एवं अंग्रेजी भाषाओं के खंड शामिल हैं। इसमें जैंतिया या पनार भाषा के शब्द नहीं हैं।
- मेघालय में गारो, खासी एवं जैंतिया तीन प्रमुख मातृसत्तात्मक समुदाय हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत मेघालय में तीन स्वायत्त जिला परिषदें हैं :
- खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद्
- जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद्
- गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद्

- मेघालय सरकार के अनुसार, गान की भाषाओं का चयन मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005 के आधार पर किया गया है।
- इसके तहत अंग्रेजी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के विभिन्न ऑपरेशन

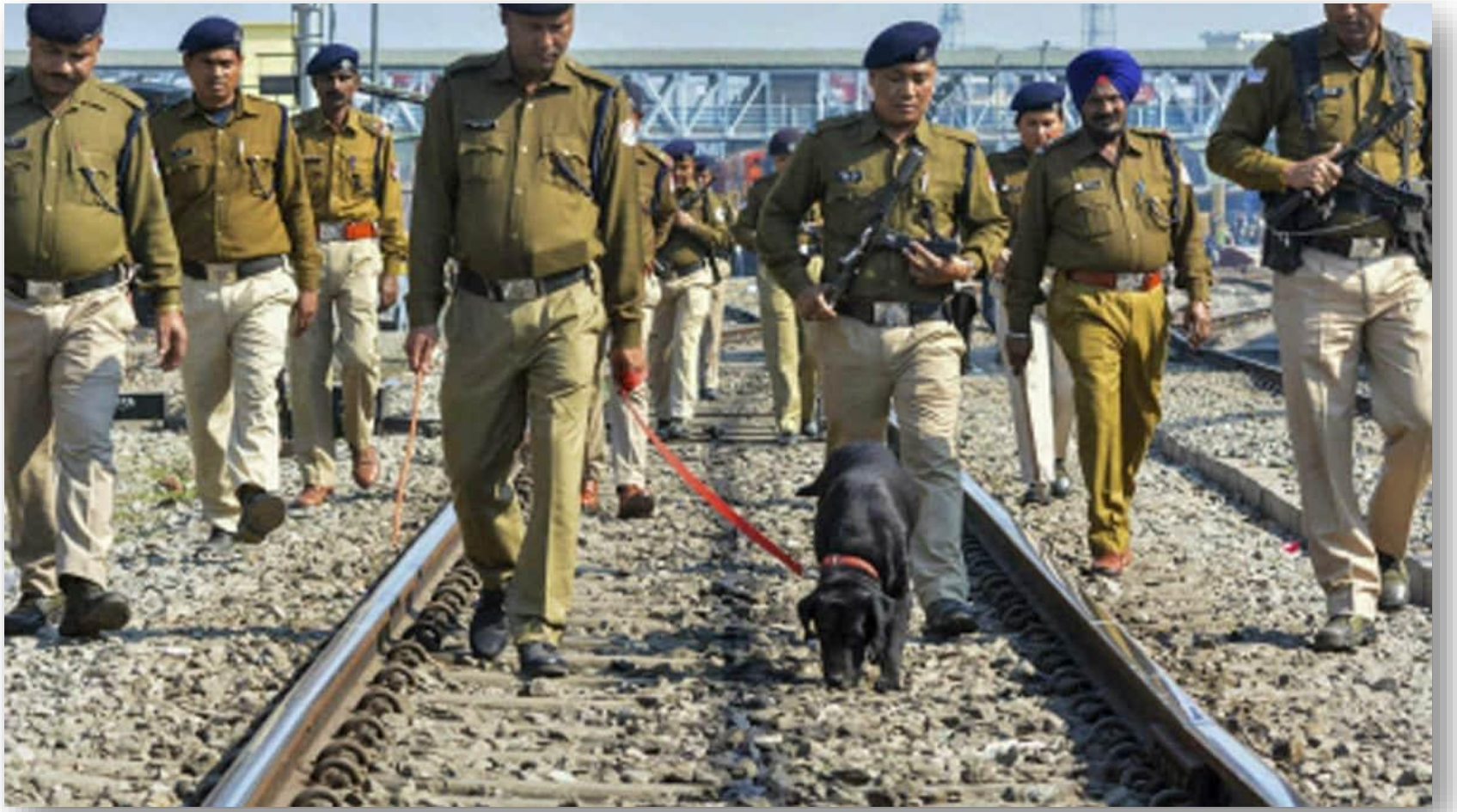

प्रश्न: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते" लावारिस बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है।
2. ऑपरेशन "जीवन रक्षा" का उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना है।
3. ऑपरेशन "सुरक्षा" रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

ऑपरेशन के नाम संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते"-** इस मिशन के तहत देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, जो भारतीय रेलवे के संपर्क में आते हैं, उन्हें बचाया जाता है और उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाता है।
- **ऑपरेशन "जीवन रक्षा"-** आर.पी.एफ. ऑपरेशन "जीवन रक्षा" के अंतर्गत प्लेटफार्मों और पटरियों पर पड़े हुए, नीचे गिरने वालों और चलते ट्रेन से उतरने या चढ़ते समय गलती से गिरे यात्रियों की जीवन रक्षा करता है।
- **"मेरी सहेली" पहल**- आर.पी.एफ. ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "मेरी सहेली" पहल शुरू की है।

- **ऑपरेशन "उपलब्ध"-** आर.पी.एफ. ने रेल टिकटों की कालाबाजारी रोकने और दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन "उपलब्ध" शुरू किया।
- **ऑपरेशन "नारकोस"**- आर.पी.एफ. ने इन अपराधों से निपटने के लिए ऑपरेशन "नारकोस" पहल की शुरुआत की।
- **यात्रियों की शिकायतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया**- आर.पी.एफ. रेल मदद पोर्टल एवं हेल्पलाइन (नंबर 139 के साथ एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय प्रणाली नंबर 112) के माध्यम से सुरक्षा संबंधी यात्री शिकायतों का त्वरित समाधान करती है।
- **ऑपरेशन "यात्री सुरक्षा"** - आर.पी.एफ. रेल यात्रियों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में पुलिस का सक्रिय रूप से सहयोग करती है। इस क्रम में ऑपरेशन "यात्री सुरक्षा" की शुरुआत की गई।

- **ऑपरेशन "सुरक्षा"**- रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन सुरक्षा' की शुरुआत की गई। जनवरी 2024 में चलती ट्रेनों पर पथराव में शामिल 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- **ऑपरेशन "सेवा"** - आर.पी.एफ. ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ जरूरतमंदों की सहायता के लिए 'ऑपरेशन सेवा' चलाया है। इसमें बुजुर्गों, बीमार या घायल यात्रियों को उनकी रेल यात्रा के दौरान सहायता प्रदान की जाती है।
- **ऑपरेशन "सतर्क"** - रेलवे सुरक्षा बल 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत अवैध तंबाकू उत्पाद एवं अवैध शराब की जब्ती एवं वाहनों में नकली, सोना व चांदी की बरामदगी करती है।

नजूल भूमि

प्रश्न: नजूल भूमि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नजूल भूमि सरकारी स्वामित्व वाली होती है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता।
2. सरकार आमतौर पर नजूल भूमि का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए करती है।
3. नजूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 का उपयोग इस भूमि के प्रशासन से जुड़े निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. 1, 2 और 3

- उत्तराखंड में नजूल भूमि (Nazool Land) पर बने एक धार्मिक स्थल एवं मदरसे को गिराए जाने के बाद राज्य में हिंसक गतिविधियाँ देखी गईं।

क्या है नजूल भूमि

- नजूल भूमि सरकार के स्वामित्व में होती है, किंतु प्रायः इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
- राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को एक निश्चित अवधि (प्रायः 15 से 99 वर्ष हेतु) के लिए पट्टे पर आवंटित करता है।
- यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग में एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करवा सकता है।

- हालाँकि, सरकार नजूल भूमि को वापस लेने, पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
- भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई है।

नजूल भूमि का उद्भव

- ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों का विरोध करने वाले राजा एवं राजघराने प्रायः उनके खिलाफ विद्रोह करते थे जिसके कारण उनके और ब्रिटिश सेना के बीच कई लड़ाइयाँ हुई।

- युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंग्रेज अक्सर उनसे उनकी जमीन छीन लेते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने ये जमीनें खाली कर दीं।
- हालाँकि, राजाओं एवं राजघरानों के पास प्रायः पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेजों की कमी होती थी, ऐसे में इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था।

सरकार द्वारा नजूल भूमि का उपयोग

- सरकार आमतौर पर नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिए करती है।

- भारत के कई शहरों में नजूल भूमि के रूप में चिह्नित भूमि के बड़े हिस्से को आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटियों के लिए उपयोग किया जाता है।

नजूल भूमि का प्रबंधन

- कई राज्यों ने नजूल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी किया है।
- नजूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज्यादातर नजूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है।